

राजस्थान सरकार  
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक:- प.2 (2)रामले/स्था/प्रशिस्व 2017/837

दिनांक :-11 /09/2020

--: आदेश संख्या 58 /2020 ::-


राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा के लिए सीधी भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा वर्ष 2013 के लिए आयोजित परीक्षा में सफल घोषित तहसील राजस्व लेखाकारों में से निम्नांकित अभ्यर्थी के संस्थागत प्रशिक्षण हेतु सर्व उद्देशीय राजस्व प्रशिक्षणालय, टोंक में 11 सप्ताह के लिए दिनांक 14.09.2020 से 28.11.2020 तक जाना है। यह प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना प्रशिक्षणार्थी के लिए नियमानुसार अनिवार्य होगा।

प्रशिक्षण प्राप्त करना एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना राजस्थान लेखा अधीनस्थ सेवा नियम -35 (1) के अन्तर्गत अनिवार्य है अतः यह अवधि राजस्थान सेवा नियमों - 7 (8) (बी) (1) के अन्तर्गत ड्यूटी मानी जावेगी।

राजस्थान सेवा नियमों के नियम-22 (ख)(2) के अनुसार प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को परिशिष्ट- 18 (ख) में दिये गये निर्धारित प्रपत्र में अनुबन्ध भरकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई, कार्मिक प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति के एक वर्ष की अवधि में राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा से त्याग पत्र देना चाहेगा अथवा अन्य पद ग्रहण करना चाहेगा तो ऐसा करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि में उनके द्वारा प्राप्त स्थाई पारिश्रमिक/ समस्त वेतन एवं भत्तों (पे एण्ड अलाउन्सेज) एवं उनके प्रशिक्षण पर हुए व्यय की राशि का भुगतान एक मुश्त राजकोष में जमा कराना होगा।

क्र.स.	रिश्फल मेरिट क्रमांक	नाम तहसील राजस्व लेखाकार	कार्यरत जिला/विभाग
1	268	श्री मोहनलाल	कलेक्ट्रेट अलवर
2	-	श्री जगतसिंह	कलेक्ट्रेट डूंगरपुर
3	-	सुश्री राखीसिंह	कलेक्ट्रेट धौलपुर
4	281	श्री चैनसिंह चौहान	कलेक्ट्रेट धौलपुर
5	1877	रचना यादव	कलेक्ट्रेट झुझुनू
6	308	प्रदीप कुमार शर्मा	राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
7	319	तेजवीरसिंह राजावत	राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
8	318	अंशुल मेहरा	राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
9	1603	दीपिका कंवर	कलेक्ट्रेट अजमेर
10	3093	विनीता जाटव	तहसील कार्यालय सवाई माधोपुर
11	469	तुषार सैनी	कलेक्ट्रेट भीलवाडा
12	300	अजीत कुमार शर्मा	कलेक्ट्रेट भरतपुर
13	453	सुरेश कुमार	कलेक्ट्रेट चित्तौडगढ़.
14	454	रमेश कुमार	कलेक्ट्रेट बाडमेर
15	457	सुरेन्द्र कुमार	कलेक्ट्रेट बाडमेर
16	3061	रेणु खोलिया	कलेक्ट्रेट भरतपुर
17	1885	कविता सामोता	कलेक्ट्रेट भीलवाडा

संबंधित जिला कलेक्टर्स अपने अधीनस्थ उक्त तहसील राजस्व लेखाकारों को अनिवार्य संस्थागत प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यभार मुक्त करते हुए प्रशिक्षण दिनांक को मध्याह्न पूर्व प्रशिक्षणालय, टोंक में उपस्थित होने हेतु पाबन्द करें। समस्त तहसील राजस्व लेखाकारों को प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात् उसी कार्यालय में उपस्थिति देनी होगी, जहाँ से वे प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त होकर आये थे। प्रशिक्षण के दौरान इनकों स्थिर पारिश्रमिक/वेतन का भुगतान उसी कार्यालय से किया जाना है, जहाँ पर वे वर्तमान में पदस्थापित किये गये हैं। सर्व उद्देशीय राजस्व प्रशिक्षणालय, टोंक कार्यालय को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है।


  
(नम्रता वृष्णि)  
निबन्धक

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निरन्तर.....2

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
- 2-निजी सहायक, निबन्धक महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
- 3-निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
- 4-जिला कलक्टर, अलवर/डूंगरपुर/घौलपुर/झुंझुनू/अजमेर/स0माधोपुर/भीलवाड़ा/भरतपुर/टोंक,  
चित्तौड़गढ़ एवं बाड़मेर ।
- 5-प्रधानाचार्य, सर्वउद्देशीय राजस्व प्रशिक्षणालय, टोंक को प्रेषित कर लेख है प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होने वाले तहसील राजस्व लेखाकारों की सूचना/प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात् प्रशिक्षणार्थी की लिखित परीक्षा आयोजित कराकर परिणाम से मण्डल कार्यालय को अवगत करावे, साथ ही प्रशिक्षणार्थी के प्रशिक्षण एवं आवास/भोजन की व्यवस्था भारत सरकार/राज्य सरकार के कोविड-19 हेतु जारी निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए यथा सोसिशयल डिस्टेसिंग, सेनेटाईज्ड, मास्क इत्यादि की भी व्यवस्था प्रशिक्षणालय में की जावे। तथा समय समय पर प्रशिक्षण स्थल एवं आवास इत्यादि को उचित माध्यम द्वारा सेनेटाईज्ड करवाया जावे। एवं प्रशिक्षणार्थी कार्मिकों का समय पर पर कोरोना जाँच भी करवाते रहे जिससे किसी प्रकार का संक्रमण फैलने की सम्भावना से बचा जा सके।
- 6-श्री.....टी.आर.ए.द्वारा जिला कलक्टर.....को भेजकर निर्देश दिये जाते है वे दिनांक 11.09.2020 को मध्याह्न पूर्व प्रधानाचार्य, सर्व उद्देशीय राजस्व प्रशिक्षणालय, टोंक के यहां प्रशिक्षण हेतु अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे। एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार जारी कोविड-19 के निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए प्रशिक्षण प्राप्त करें। तथा स्वयं के स्तर पर कोरोना जांच करवा निगेटिव रिपोर्ट ए.पी.आर.टी.को प्रस्तुत करें।
- 7-संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर) राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को मण्डल की वेबासाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 8-आदेश/निजी पत्रावली।

  
 अतिरिक्त निबन्धक (वित्त एवं लेखा)  
 राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर